


**छत्तीसगढ़ शासन**  
**महिला एवं बाल विकास विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)**  
**::: आदेश :::**

नवा रायपुर, दिनांक 02/02/2024

क्रमांक एफ 3-23/2023/50 : राज्य शासन एतद्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु 'महतारी वंदन योजना 2024' की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ योजना के विस्तृत दिशा निर्देश परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(सुभाष चन्द्र कुजूर)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ. क्रं. एफ 3-23/2023/50

नवा रायपुर, दिनांक 02/02/2024

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/वित्त विभाग/समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
6. संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर।
7. संभागीय आयुक्त, संभाग-समस्त, छत्तीसगढ़।
8. कलेक्टर, जिला-समस्त, छत्तीसगढ़।

9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला-समस्त, छत्तीसगढ़।
  10. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला-समस्त, छत्तीसगढ़।
  11. बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना-समस्त, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग